


फर्द अहकाम

दिनांक	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए
29.9.22	<p>पत्रावली पेश। वहीन उक्तपक्ष उपस्थित। वक्त पर मजल करने पर पत्रावली का अन्वेषण करने पर पाया गया कि निम्न दिनांक की सुनवाई का नोटिस प्रार्थी को प्राप्त हुआ, उस दिन मा सुशामन जजों ने सहा अधिवक्ता सप्लिक हो गया था एवं उसके बाद प्रार्थी को कोई सूचना नहीं थी। उसके बाद इसी नोटिस के आधार पर प्रार्थी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। इसलिए प्रार्थी को सुना जाता न्यायाधिकार में उचित प्रकीर्ण होता है।</p> <p style="text-align: center;">अतः प्रार्थी का प्रार्थना पर संकल्पित</p> <p>0-9 R-13 CPC संपादित धारा 151 (PC स्वीकार किया जाकर इस न्यायालय के अंतर्गत संख्या 2021/174 (LCMS) जनकान हुसमान वसाम राजेनू सुमार आदि के निर्दिष्ट दिनांक 07.6.22 एवं प्रार्थी वसु राजेनू सुमार के विरुद्ध की गई एकपक्षीय कार्यवाही दिनांक 24.5.22 को अयाप्त किया जाकर उक्त प्रकरण पुनः नए नम्बर पर दर्ज किया जाता है। प्रार्थी को निर्दिष्ट किया जाता है कि उक्त प्रकरण में अतक पेश करें। पत्रावली का तत्काल तत्काल होकर हाजिर रहना है।</p>	

यह आदेश आज दिनांक 29.9.22
 को पूरे न्यायालय में लिखवा पात्र सुनाया गया


 सप्लिक आधिकार
 बलसाना